

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और एन. सी. खिची से समक्ष ,

पवन कुमार -अपीलार्थी

बनाम

चंचल कुमारी -प्रतिवादी

एल. पी. ए. 536 of 1996

27 अक्टूबर, 1998

*हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 - धारा 13 - तलाक के लिए डिक्री - विवाह का अपरिहार्य रूप से टूटना -ऐसी स्थिति में तलाक का अनुदान।*

अभिनिर्धारित किया गया कि शादी के पक्षकार पिछले 13 वर्षों से अधिक समय से अलग रह रहे हैं। वे केवल एक महीने साथ रहे हैं। उनकी कोई संतान नहीं है जो उन्हें एक साथ बांध सके। ऐसा प्रतीत होता है कि शादी एक दशक से अधिक से जड़ हो चुकी है। यह अपरिहार्य रूप से टूट गई है। यह असाध्य हो चुकी है। ऐसे मामले की परिस्थितियों में तलाक की डिक्री देना उचित होगा।

(पैरा 12 &18)

जे. एल. मल्होत्रा, अधिवक्ता-अपीलार्थी की ओर से।

हेमंत कुमार गुप्ता, अधिवक्ता-प्रतिवादी की ओर से।

### निर्णय

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता, (मौखिक)

(1) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक की डिक्री के लिए पति की याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। प्रथम अपील भी खारिज कर दी गई थी। इसलिए यह लेटर्स पेटेंट अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) विचार के लिए सूक्ष्म सवाल यह है कि क्या इस तथ्य के बावजूद कि पक्षकार पिछले 13 वर्षों से अलग रह रहे हैं, तलाक की डिक्री को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए? मामले के निर्णय के लिए प्रासंगिक कुछ तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

(3) पक्षकार हिन्दू हैं। उन्होंने 2 दिसंबर, 1984 को शादी की थी। अपीलार्थी का आरोप है कि वे जनवरी, 1985 में अलग हो गये थे। जबकि पत्नी ने बताया कि वे जुलाई 1985 से अलग रह रहे हैं। चार साल बाद 3 अप्रैल, 1989 को अपीलार्थी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिवादी का रवैया कठोर था। वह उसके और उसके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करती थी। उसने उनका अपमान किया। जनवरी, 1985 में उसने वैवाहिक घर छोड़ दिया और अपनी माँ की बहन के घर और उसके बाद अपनी माँ के घर चली गईं। अपीलार्थी का दावा है कि बार-बार मिलने के बावजूद उसने और उसके परिवार के सदस्यों ने उसे वापस भेजने से इनकार कर दिया। अपीलार्थी के अनुसार 9 जून, 1985 को पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था। यह

एक विलेख लेखक द्वारा विधिवत लिखा गया था। समझौते के अनुसार, उसे रू 10,000 का भुगतान किया गया। दहेज की वस्तुएँ भी उसे वापस कर दी गईं। वह इस बात पर सहमत हुई थी कि दोनों पक्ष फिर से अलग अलग शादी कर सकते हैं। जबकि, पैसा लेने के बाद उसने धारा 125 Cr.P.C के तहत एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने समझौते के विलेख पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। अपीलार्थी का कहना है कि प्रतिवादी ने बिना किसी युक्तियुक्त प्रति के उसके साहचर्य से प्रत्याहृत कर लिया। उसने उसके साथ क्रूरता की है। इसलिए, वह तलाक की डिक्री के लिए प्रार्थना करता है।

(4) प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान में, इन आरोपों का खंडन किया गया है कि वह कठोर थी या उसने दुर्यवहार किया था। यह दावा किया गया है कि कोई दहेज की वस्तु वापस नहीं की गई थी। उन्होंने कभी भी अपने अधिकार को नहीं छोड़ा था। इस बात पर कोई सहमति नहीं थी कि दोनों पक्ष फिर से शादी कर सकते हैं। प्रतिवादी का कहना है कि यह याचिकाकर्ता और उसका परिवार था जिसने उसके साथ दुर्यवहार किया और उसे परेशान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि "वह उनकी इच्छा के अनुसार पर्याप्त दहेज नहीं लाई थी"। वह दावा करती है कि उसे बार-बार अपने माता-पिता और रिश्तेदारों से और दहेज लाने के लिए कहा गया। उसका कहना है कि उसे बेरहमी से पीटे जाने के बाद "5 जुलाई, 1985 को बिना किसी कारण के वैवाहिक घर से निकल दिया गया था। उसे आवश्यक कपड़े, आभूषण और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं को रखने की भी अनुमति नहीं थी, उसे दबाव और धमकी देकर कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, जिन पर प्रतिवादी ने अपनी जान बचाने के लिए हस्ताक्षर किए थे। प्रतिवादी के अनुसार याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों से कई बार संपर्क किया गया था लेकिन याचिकाकर्ता और उसके परिवार ने इस अनुरोध को तब तक स्वीकार करने से इनकार कर दिया जब तक कि 10,000 रुपये का भुगतान नहीं किया जाता और प्रतिवादी द्वारा यमुना नगर में स्थित प्रत्यर्थी की माँ के घर को याचिकाकर्ता के नाम पर उपहार में नहीं दिया जाता। यह भी निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी की सात बहनें हैं और कोई भाई नहीं है। उसने पहले ही अपने पिता को खो दिया है और माँ बहुत बूढ़ी है। उसकी किसी भी स्रोत से कोई स्वतंत्र आय नहीं है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। सभी बहनें अलग-अलग रहती हैं। कोई भी उसके भरण पोषण के लिए पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है। याचिकाकर्ता के साथ प्रतिवादी की शादी तब अचानक से तय की गई थी, जब लुधियाना की किसी अन्य लड़की के साथ शादी की तारीख तय होने के बाद मोटरसाइकिल की माँग के कारण उसकी सगाई टूट गई थी। इसके बावजूद, प्रत्यर्थी के रिश्तेदारों ने भारी राशि खर्च की और आभूषण, कपड़े और अन्य वस्तुओं आदि सहित काफी दहेज दिया गया। प्रत्यर्थी का कहना है कि उसने साहचर्य से प्रत्याहृत नहीं किया था। वह अभी भी याचिकाकर्ता के साथ रहने के लिए तैयार और इच्छुक है। नतीजतन, वह प्रार्थना करती है कि याचिका खारिज कर दी जाए।

(5) अपीलार्थी ने अपने दावे को दोहराते हुए एक प्रतिकृति दायर की।

(6) विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाधको की विरचना की गई :-

1. क्या प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को दो साल से अधिक की निरंतर अवधि के लिए अभित्यक्त रखा है ; यदि हां, तो किस प्रभाव से? ओपीपी।
2. क्या प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के प्रति ऐसा व्यवहार किया है जो क्रूरता की श्रेणी में आता हो? ओपीपी।
3. क्या यह याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि इसे नियमों के अनुसार नहीं बनाया गया है? ओपीपी।
4. अनुतोष।

(7) विचारणीय न्यायालय ने पाया कि वर्तमान अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि प्रतिवादी ने उसे बिना किसी पर्याप्त कारण के निरंतर दो साल से अधिक अवधि के लिए अभित्यक्त किया हो। यह भी पाया गया कि प्रतिवादी के खिलाफ क्रूरता का आरोप झूठा था। जहाँ तक विवादक संख्या 3 का संबंध है, किसी भी पक्ष द्वारा कोई तर्क पेश नहीं किए गये। नतीजतन, याचिका खारिज कर दी गई।

(8) विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निष्कर्षों की पुष्टि की गई। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसे वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया। वह आज भी अपीलार्थी के साथ रहने के लिए तैयार है। हालाँकि, वह उसे रखने के लिए तैयार नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार इसका कारण यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने पुनर्विवाह कर लिया है और उसके दो बच्चे हैं। इसलिए, अब वह प्रतिवादी को वापस लेने के लिए इच्छुक नहीं है।

(9) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया है।

(10) निचली अदालतों द्वारा यह तथ्य पाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा कथित समझौते को निष्पादित नहीं किया गया था। वास्तव में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी के बयान का उल्लेख किया है और कहा है कि उन्होंने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि इस समझौते के निष्पादन के समय, विवाद उत्पन्न हुआ और उपरोक्त सभी व्यक्तिय समझौते के निष्पादन से पहले ही जगह स्थान छोड़ कर चले गये थे। फिर भी, यह पाया गया है कि "इस समझौते के अनुपालन में, प्रतिवादी अलग रह रही है जो उसकी सहमति के बिना या उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं है, क्योंकि उसने उसे अलग रहने की अनुमति दी है।" इस कारण से, अपीलार्थी का अभित्यक्ति का तर्क खारिज कर दिया गया है। यह भी पाया गया है कि प्रत्यर्थी की शादी अपीलार्थी से "केवल एक दिन के नोटिस के साथ" हुई थी। इसके बावजूद, अपीलार्थी का निवेदन कि उसने कभी दहेज नहीं माँगा या अपेक्षित किया, इस कारण के साथ अस्वीकार कर दिया गया है कि "दुनिया के तरीके विशिष्ट हैं। शादी के बाद पति और उसके रिश्तेदार कभी-कभी इस तरह का व्यवहार करते हैं और दहेज की मांग करने लगते हैं। प्रत्यर्थी का बयान विश्वास के योग्य है जब वह कहती है कि अपीलार्थी और उसके परिवार द्वारा प्रताड़ित किए जाने और दुर्व्यवहार के बाद उसे 5 जुलाई, 1985 को वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया था। यह सही है कि उसने अपनी माँ की गवाही नहीं करायी, लेकिन कारण स्पष्ट है, वह एक बूढ़ी बीमार महिला है। इसलिए उसके बयान के अभाव में भी, प्रत्यर्थी की शपथ गवाही विश्वसनीय है कि जुलाई, 1985 के बाद, जब उसके पुनर्वास के लिए प्रयास किया गया था, तो अपीलार्थी और उसके पिता ने 10,000 रुपये की मांग की थी और अपीलार्थी के नाम पर यमुना नगर में प्रत्यर्थी की माँ के घर का दान विलेख निष्पादित करने को कहा था।

(11) क्या ये निष्कर्ष सही है?

(12) निस्संदेह यह सही है की लैटर पेटेंट अपील में न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के हित में नहीं रहता। आम तौर पर न्यायालय खुद को कानून की त्रुटियों तक ही सीमित रखता है। यह भी सच है कि विवाह के अपरिहार्य रूप से टूटने को भी विवाह विच्छेदन के आधार के रूप में वैधानिक रूप से मान्यता नहीं दी जाती है। तथापि, वर्तमान मामले में स्वीकार किए गए तथ्य इस प्रकार हैं—

- (1) जुलाई, 1985 से पक्षकार अलग-अलग रह रहे हैं। अपीलार्थी के अनुसार, वे केवल एक महीने तक एक साथ रहे थे। प्रतिवादी-पत्नी के अनुसार वे दिसंबर, 1984 से जुलाई, 1985 तक एक साथ रहे थे।

- (2) उनकी कोई संतान नहीं है जो उन्हें एक साथ बांध सके।
- (3) प्रत्यर्थी आठ बहनों में से एक है। शादी से पहले ही पिता की मौत हो गई थी। कहा गया है कि मामले के लंबित रहने के दौरान माँ की भी मृत्यु हो गई थी। शादी के समय परिवार के पास आय का कोई स्रोत नहीं था। तब से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।
- (4) यह प्रत्यर्थी का संस्करण है कि अपीलार्थी ने पुनर्विवाह किया है और उसके दो बच्चे हैं। उन्होंने एक जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो दर्शाता है कि एक नर बच्चे का जन्म हुआ था।

(13) इन तथ्यों से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शादी पूरी तरह से "जड़" है। यह असाध्य हो चुकी है। पक्षकारों का कभी भी खुशहाल वैवाहिक जीवन नहीं रहा है। क्या मरे हुए घोड़े को कोड़े मारे जाने चाहिए और शादी कायम रखी जानी चाहिए?

(14) निर्विवाद रूप से, विवाह एक मानवीय संबंध है। इससे पक्षकारों में परस्पर खुशी अनी चाहिए। यह आनंद का स्रोत होना चाहिए। इससे पक्षकारी को घर का आभास होना चाहिए। वर्तमान मामले में, यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी दोनों पूरी तरह से नाखुश हैं। दिसंबर, 1984 में अपनी शादी के बाद वे 1985 से अलग रह रहे हैं।

(15) प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उसने साहचर्य से प्रत्याहण नहीं किया था। वास्तव में, उन्होंने दहेज के प्रति असंतोष दिखाया था। वह लालची था और अधिक दहेज चाहता था। उसने प्रतिवादी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया।

(16) यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी आठ बहनें हैं, उसके पिता की मृत्यु शादी से बहुत पहले हो गई थी। परिवार के पास आय का कोई स्रोत नहीं था। इस स्थिति के बावजूद अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से शादी की थी। इस स्थिति में, इस तर्क को स्वीकार करना असंभव प्रतीत होता है कि अपीलार्थी अधिक दहेज चाहता है। निश्चित रूप से, अपीलार्थी को यह पता था कि शादी के समय परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं था। वह कैसे उम्मीद कर सकता था कि प्रतिवादी उसे अपने अलावा कुछ भी देगी? ऐसा प्रतीत होता है कि कहानी को एक याचिका बनाने के एकमात्र उद्देश्य से बनाया गया है। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उसकी माँ के पास एक घर था और अपीलार्थी की संपत्ति पर नज़र थी। इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले, इस आरोप को साबित करने के लिए न तो माँ और न ही किसी अन्य संबंधी को पेश किया गया है। दूसरा, हर किसी को पता होगा कि घर होने पर भी सभी आठ बहनों का उसमें बराबर हिस्सा होगा। कोई भी विशेष रूप से संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता था। तीसरा, विद्वान वकील ने यह इंगित करने के लिए किसी भी साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया है कि संपत्ति प्रत्यर्थी की माँ द्वारा किसी को भी दी जा सकती थी। इस प्रकार, अपीलार्थी की घर पाने की इच्छा के संबंध में कहानी भी विश्वसनीय नहीं लगती है।

(17) स्पष्ट है कि दोनों पक्ष पिछले 13 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि शुरू में पति द्वारा पत्नी को अपने साथ रहने के लिए मनाने के प्रयास किए गए थे। असफल होने के बाद उन्होंने तलाक की मांग की थी। पत्नी ने उस पर बेरहमी से पीटने, उसे घर से बाहर निकालने और उसकी देखभाल नहीं करने का आरोप लगाया। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य इन आरोपों को साबित नहीं करते हैं। इसके अलावा, यह स्वीकृत तथ्य है कि जब मामला इस अदालत में लंबित था तब भी वह उनके साथ रहने के लिए तैयार थी। अगर पति ने वास्तव में उसे

पीटा था और फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया था, तो वह उसके पास वापस जाने के लिए तैयार नहीं होता। उसका आचरण उसके आरोप को गलत साबित करता है।

(18) इस मामले पर विचार करने के बाद, हमें ऐसा लगता है कि शादी एक दशक से अधिक समय से 'जड़' है। यह अपरिहार्य रूप से टूट गया है। यह असाध्य है। *सुश्री जॉर्डन दींगदेह बनाम एस. एस. चोपड़ा*<sup>1</sup>, *चंद्रकला त्रिवेदी बनाम डॉ. एस. पी. त्रिवेदी*<sup>2</sup>, *वी. भगत बनाम डी. भगत*<sup>3</sup>, *रोमेश चंद्र बनाम सावित्री*<sup>4</sup> और *अशोक हुर्रा बनाम रूपा बिपिन जवेरी*<sup>5</sup> में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का सम्मानपूर्वक पालन करते हुए, हम सोचते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने के अनुसार तलाक की डिक्री देना उचित होगा।

(19) तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है, उक्त परिस्थितियों में पक्षकार अपना लागत शुल्क स्वयं वहाँ करेंगे।

#### अस्वीकरण:

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि यह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आपराधिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

हिमांशु आर्य

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा

---

<sup>1</sup> A.I.R. 1985 S.C. 935  
<sup>2</sup> 1993 (4) S.C.C. 232  
<sup>3</sup> A.I.R. 1994 S.C. 710  
<sup>4</sup> A.I.R. 1995 S.C. 851  
<sup>5</sup> A.I.R. 1997 S.C. 1266